

Form no III



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम निम्बाहेडा

दलीचंद पिता भगवाना जी बनाम तहसीलदार निम्बाहेडा

किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र मु.न. 171 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
3.06.2024	<p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण व परोकार सरकार उपस्थित। पक्षकारान की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण की बहस में प्रकट तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/-रु फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं कि प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की भूमि से लगे हुये सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना-पत्र जारी करते हुये, उनकी उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर, प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा सतखण्डा पटवार हल्का सतखण्डा तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 348 की आराजी नंबर 1802 मीन रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1805 मीन रकबा 0.3800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1807 मीन रकबा 0.2400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1812 मीन रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 305 मीन रकबा 0.3100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 306 रकबा 0.1500 हैक्टेयर व खाता संख्या 734 की आराजी नंबर 2684 / 303 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, आराजी नंबर 2686 / 307 रकबा 0.1300 हैक्टेयर व आराजी नंबर 2692 / 1804 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> </p>	

